निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक–VII

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **क. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा**

कंपनी के पास कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थायित्व नीति) नियमावली 2014 में उल्लिखित सीएसआर नीतिगत ढांचेय और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी सीपीएसई के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थायित्व पर दिशानिर्देशों के अनुरूप एक 'निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व' और स्थायित्व नीति है

कंपनी की सीएसआर और स्थायित्व नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

दृष्टिकोण

आरईसी सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ–साथ यथा संभव सीमा तक अपनी व्यापारिक नीतियों और रणनीतियों के साथ सीएसआर और सथायित्व नीति को संरेखित करने में अपनी महत्वपूर्ण क्षमताओं और अपनी संसाधन क्षमताओं के पूरी तरह से दोहन के लिए प्रयास करेगा।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत व्यापक गतिविधियां:

कंपनी समुदाय, सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं से निपटने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की एक श्रृंखला के द्वारा एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास करेगी, जिसे परियोजना मोड में, यथासंभव ध्यान केंद्रित तरीके से रणनीतिक रूप से किया जाएगा।

यद्यपि, कंपनी उपलब्ध विकल्पों में से एक विशाल रेंज से सीएसआर परियोजनाओं का चयन कर सकती है, फिर भी समाज के समावेशी विकास से संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी, दिए गए चुने/फोकस क्षेत्रों और पर्यावरण संधारणीयता में समाज के कमजोर वर्गों और देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। उपरोक्त के अनुसार,कंपनी उस कथित अधिनियम की अनुसूची 7 के अनुरूप निर्धारित गतिविधियों के साथ–साथ सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों को पूरा करना सुनिश्चित करे।

वित्तीय घटक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार तत्काल तीन वित्तीय वर्ष के निवल लाभ का कंपनी कम से कम 2: कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर खर्च करे। निवल लाभ का अर्थ कंपनी के उस है जो उसके वित्तीय विवरण के अनुसार तैयार किया गया है और इस अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया गया है।

सीएसआर के तहत संस्थागत स्थापना:

संस्थागत व्यवस्था निम्नानुसार होगी:

बोर्ड की एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (श्सीएसआर कमेटीश्) का गठन किया जाएगा जिसमें तीन या अधिक निदेशकों की व्यवस्था होगी, जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की भूमिका और उत्तरदायित्व अन्य बातों के साथ–साथ, बोर्ड को कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को तैयार करने और अनुशंसा के लिए दी जाने वाली जाने वाली गतिविधियां अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट है, निगरानी और व्यय राशि की अनुशंसा, समय–समय पर बोर्ड निदेशकों को रिपोर्ट जमा करना शामिल है।

निदेशक मंडल की भूमिका और उत्तरदायित्व में, बोर्ड की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन सुनिश्चित करने, कंपनी की सीएसआर नीति को मंजूरी देने, बोर्ड के सीएसआर कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और इसकी रिपोर्ट में ऐसी नीति की सामग्री का खुलासा करें, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके की इस सीएसआर नीति की गतिविधियां अनुसूची 7, इत्यादि में शामिल गतिविधियों से संबंधित हैं।

जबकि बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति पूरी गतिविधियों पर नजर रखेगी, सीएसआर परियोजनाओं को संचालित करेगी, सीएसआर परियोजना प्रस्तावों की स्क्रीनिंग और सिफारिश के मार्गदर्शन के लिए यह समिति तत्पर रहेगी :

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2019 के लिए 'स्वच्छता पुरस्कार' से सम्मानित

आरईसी लिमिटेड द्वारा पूरे भारत के 25 स्कूलों में इंटीग्रिटी क्लबों की स्थापना

सीएसआर गतिविधियों के लिए निष्पादन तंत्रः

सीएसआर की गतिविधियों को कंपनी द्वारा घोषित सीएसआर नीति के अनुसार, परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों के रूप में लागू किया जाएगा (या तो नए या चल रहे), अपने सामान्य व्यवसाय के पाठ्यक्रम के अनुसरण में की गयी गतिविधियों को छोड़कर।

कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित किसी कंपनी के माध्यम से अपनी सीएसआर गतिविधियों को कराने का निर्णय ले सकती है या एक पंजीकृत ट्रस्ट या कंपनी द्वारा स्थापित एक पंजीकृत समाज, या तो अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ,या कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के तहत अनुमति के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संसद के एक अधिनियम या राज्य विधानमंडल के तहत स्थापित किसी भी संस्था द्वारा। उपर्युक्त के अनुरूप, कंपनी उन एजेंसियों को प्राथमिकता दे सकती है, जिनके पास उनके कार्यप्रणाली के फोकस क्षेत्र के अनुसार सरकार / अर्द्ध–सरकारी / पीएसयू / स्वायत्त निकायों के साथ पिछले कार्य अनुभव है।

आरईसी ने 'आरईसी फाउंडेशन' सोसाइटी की स्थापना की है एवं वर्तमान में सभी प्रकार के सीएसआर क्रियाकलापों को इसी सोसाइटी के माध्यम से निष्पादित करती है।

निगरानी

कंपनी सीएसआर परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन प्रगति / निगरानी दिशा–निर्देशों के अनुरूप सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन / निगरानी करेगी।

कंपनी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों / राज्य कार्यालयों / कारपोरेट कार्यालयों या बाहरी एजेंसी द्वारा अपने स्वयं के जनशक्ति के माध्यम से, सीएसआर परियोजनाओं की आवधिक निगरानी, कार्यान्वयन या अन्यथा के साथ आवधिक निगरानी कर सकती है, यह आकलन करने के लिए कि क्या समयसीमा, बजटीय व्यय और भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि आदि की प्रगति अपेक्षित लाइनों पर है।

विस्तृत सीएसआर और संधारणीयता नीति के लिए, नीचे दिए गए अनुसार(ग) कृपया आरईसी वेबसाइट पर देखें।

ख. आरईसी फाउंडेशन

आरईसी लिमिटेड ने सीएसआर क्रियाकलाप करने के लिए एक सोसायटी 'आरईसी फाउंडेशन' बनाईया है। आरईसी फाउंडेशन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। यह फाउंडेशन आरईसी लिमिटेड के अधिशासी निकाय जिसमें आरईसी के नामित अधिकारियों द्वारा शासित होता है। वर्तमान में सभी सीएसआर परियोजनाएं आरईसी फाउंडेशन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

आरईसी फाउंडेशन का प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो परियोजनाओं की योजना, निष्पादन, मॉनीटरिंग, पहचान और पूरा करने, सांविधिक अनुपालनों और रिपोर्टिंग आदि के लिए जिम्मेदार होता है। आरईसी फाउंडेशन में सामाजिक कार्य, वित्त और मानव संसाधन व्यावसायिकों का एक समर्पित दल है जिसका प्रबंधन आरईसी फाउंडेशन के आसान प्रचालन के लिए सीईओ द्वारा किया जाता है।

ग. शुरू की गई परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन

कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत नियमों के अनुसार, "कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर)" का अर्थ है, और इसमें निम्न बातें शामिल हैं, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं हैः–

(i) अधिनियम में अनुसूची VII में निर्दिष्ट गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रमय या

(ii) कंपनी के घोषित सीएसआर नीति के अनुसार बोर्ड की सीएसआर कमेटी की सिफारिशों के अनुपालन में कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") द्वारा की गई गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रम।

आरईसी अपने सीएसआर पहल के माध्यम से राष्ट्रीय विकास एजेंडे के रूप में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है तथा आर्थिक दृष्टि और से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, बुजुर्ग व्यक्तियों, दिव्यांगों, बच्चों, युवाओं, आदि को सशक्त बनाने के लिए लाभार्थियों के व्यापक स्पेक्ट्रम तक पहुंच हेतु एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में संधारणीयता के साथ सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं को धन और समर्थन देने का प्रयास कर रही है है। वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए/चालू किए जाने वाले विषय–विषयक परियोजनाओं / कार्यक्रमों का अवलोकन निम्नानुसार हैः

i. **स्वच्छता को बढ़ावा देने और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए स्वच्छ भारत कोष में अंशदान सहित भूखमरी, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन और निवारक स्वास्थ्य देख–रेख और स्वच्छता को बढ़ावा देनाः**

नगरपालिक ठोस अपशिष्ट पदार्थों की अभियांत्रिकीय सफाई, संग्रहण और परिवहन सुविधा की स्थापना के लिए परियोजना को सहायता प्रदान कर 'मैं कुछ भी कर सकती हूं' सत्र – 3 शीर्षक के अंतर्गत संचार हस्तक्षेप के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं

सेंट्रल स्टेराईल सप्लाई डिपार्टमेंट (सीएसएसडी), एम्स, नई दिल्ली की यूनिट का नवीनीकरण और उसके लिए चिकित्सा उपस्कर की खरीद

पंडित राम सुमेर शुक्ल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रूद्रपुर उधमसिंह नगर, उत्तराखंड के अवसंरचना विकास के लिए आंशिक निधियन

के आसपास मौजूदा स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा स्वच्छ भारत मिशन– स्थायी और सुरक्षित स्वच्छता प्रकियाओं के संदेश को बल देते हुए , ग्रामीण समुदायों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल एटीएम और हैंड पंपों की स्थापना, अस्पतालों के लिए अवसंरचना विकास, अस्पतालों को चिकित्सा उपस्कर उपलब्ध कराकर 'सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दूध के पाउचों का वितरण, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण, कोरोना वायरस (कोविड–19) से महामारी के प्रसार को देखते हुए लॉकडाउन के कारण पलायन करने वाले श्रमिकों और गरीब लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण इत्यादि।

ii. शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यवसायिक कौशल शामिल हैं, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, प्रौढ़ और अन्यथा सक्षम लोगों को शिक्षित करना और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाएं संचालित करना;

स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में अवसंरचना सुविधा के विकास के लिए परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना, संकल्पनात्मक अनुसंधान अनुभव के माध्यम से युवा नवोन्वेषक तैयार करना, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को अध्ययन, खाद्यान्न और अन्य आधारभूत जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करना, विभिन्न गंदी बस्तियों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों के वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नवाचारी चल स्कूलों को सहायता प्रदान करना, महिलाओं सहित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं के लिए विभिन्न ट्रेडों में रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करना।

मशीन ऑपरेशन, प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लास्टिक प्रोसेसिंग, ब्लो मोल्डिंग पर 1000 युवाओं को रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।

मणिपुर के चंदेल जिले में छात्रावासों के निर्माण और अन्य अवसंरचना विकास के माध्यम से स्कूली शिक्षा का कायाकल्प करना। निर्मित किए गए छात्रावास का प्रयोग अभी कोविड–19 के मरीजों के इलाज के लिए किया जा रहा है।

iii. लिंग समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए घरों और छात्रावासों का निर्माण करनाय वृद्धाश्रमों, डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसे अन्य सुविधाओं की स्थापना करना तथा सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के समक्ष मौजूदा असमानताओं को घटाने के लिए उपाय करनाः

महिला लाभार्थियों के लिए कौशल विकास और आजीविका सहायता हेतु परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना, बुजुर्गों की देखरेख के लिए कल्याण सुविधाओं के साथ आश्रय गृह का निर्माण और प्रचालन, बहु आयामी रणनीति के माध्यम से जवान लड़कियों (होने वाली माताएं) की रक्षा और विकास के लिए कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करना इत्यादि।

iv.. पर्यावरणीय स्थायित्व, पारिस्थितकीय संतुलन, वन्य जीव–जंतुओं और वनस्पतियों का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वाणिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मृदा, वायु और जल की गुणवत्ता बनाए रखना, जिसमें गंगा नदी के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की गई स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान शामिल हैः

विभिन्न संस्थानों में सौर पीवी पैनल की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली की स्थापना, पार्कों के विकास आदि के लिए परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना।

भारत के विभिन्न स्थानों में किशोर स्वास्थ्य देख–रेख को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करना।

पंजाब और उत्तर प्रदेश में 880 महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर महिला सशक्तिकरण में योगदान देना

v. **कोरोना वायरस– कोविड 19 के कारण उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन स्थितियों में प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और राहत (पीएम केयर्स) निधि में अंशदान**

vi. **ग्रामीण विकास परियोजनाएं:**

कृषक–केंद्रित एकीकृत वाटरशेड विकास के लिए ग्रामीण आजीविका में सुधार, पुलों का निर्माण, कुओं को और गहरा करना, चेक डैम का निर्माण एवं नवीनीकरण, समुदाय के आस–पास प्रकृतिक रूप से उपलब्ध पोषण, खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा के इष्ट उपयोग, समुदाय हॉल, पीसीसी रोड, कंड्यूट, सूखा प्रभावित क्षेत्र आदि में रहने वाले किसानों को बीज का वितरण आदि जैसे ग्रामीण विकास कार्य, एलईडी लाइटों की स्थापना आदि के लिए विभिन्न परियोजनाओं, समुदाय विकास जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय आधारित क्रियाकलापों का समर्थन।

2. **कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति एवं कार्यक्रमों का वेब लिंक:**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप, कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति और वित्त वर्ष के दौरान निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com पर अपलोड किया गया है।

कंपनी की वेबसाइट पर मौजूदा सीएसआर परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति को भी समय–समय पर अपलोड किया जा रहा है।

3. **सीएसआर समिति का गठन:**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी, बोर्ड की एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करेगी जिसमें तीन या इससे अधिक निदेशक शामिल होंगे, जिसमें से कम से कम एक निदेशक, स्वतंत्र निदेशक होगा।

निदेशकों की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना निम्नानुसार है जो 31 मार्च, 2020 से प्रभावी है:

(i) श्री अजीत कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) – समिति के अध्यक्ष

(ii) श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) – सदस्य

(iii) श्री प्रवीण कुमार सिंह, नामित निदेशक, (पीएफसी)– सदस्य

4. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ:**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का निवल लाभ निम्नानुसार है:

		(₹ करोड़ में)
वित्त वर्ष 2016–17	–	8,774.66
वित्त वर्ष 2017–18	–	6,391.84
वित्त वर्ष 2018–19	–	8,335.41
कुल	–	**23,501.91**
औसत निवल लाभ	–	₹ 7,883.97 करोड़

5. **निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त उल्लिखित राशि का 2 प्रतिशत) -** ₹ 156.68 करोड़

6. **वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण;**

(क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि; ₹ 399.85 करोड़ है।
(चूंकि वित्त वर्ष 2019–20 के लिए ₹ 156.68 करोड़ और पिछले वर्षों की तुलना में ₹ 243.17 करोड़ आगे बढ़ाया गया है)

(ख) खर्च की गयी राशि, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि ₹ 258.40 करोड़ है तथा जिस रूप में राशि खर्च की गई वह **अनुलग्नक– क** पर दिया गया है।

(ग) खर्च न की गयी राशि, यदि कोई हो: वर्ष के लिए खर्च न की गयी राशि ₹ 141.45 करोड़ है।

7. **यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निबल लाभ के दो प्रतिशत के बराबर अथवा उसके किसी भाग की धनराशि को खर्च करने में विफल हो जाती है, तो कंपनी अपने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ऐसी राशि को खर्च न कर पाने के कारण बताएगी;**

कंपनी द्वारा स्वीकृत की गई ज्यादातर सीएसआर परियोजनाएं लंबी अवधि में पूरी होती हैं। मंजूरी की शर्तों के अनुसार पहले से निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के साथ परियोजना के अंतर्गत संवितरण जुड़ा हुआ है, जिन्हें एक वर्ष से अधिक की समयावधि में पूरा करना आवश्यक होता है। चूंकि परियोजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों और भौतिक प्रगति के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, इसलिए संवितरण नहीं किया जा सका। प्रगति आधारित लक्ष्यों के अनुसार आगामी वर्षों में यह खर्च न की गई ₹ 141.45 करोड़ की राशि जारी की जाएगी।

8. **सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व विवरण:**

कंपनी द्वारा सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों तथा इससे जुड़ी नीतियों के अनुपालन में है।

हस्ता./–
अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 06629871

हस्ता./–
(श्री संजीव कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक
(तकनीकी)
डीआईएन : 03464342

अनुबंध–क

वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर व्यय का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशिः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1. क स्वच्छता							
1	स्वास्थ्य एवं शिक्षा परिणामों में सुधार के लिए विद्यालयों में जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य–विज्ञान के लिए सहायता	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करन, स्वच्छता को प्रोन्नत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देने सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना	जिला उनाकोटी, त्रिपुरा	0.49	0.04	0.29	जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, उनाकोटी
2	स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में स्वच्छता सुविधाओं की स्थापना		उत्तर प्रदेश पंजाब, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में 33 जिले	190.00	(0.25)	152.64	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड और संबंधित राज्य शिक्षा प्राधिकरण
3	वाराणसी के 14 वार्डों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की यंत्रीकृत सफाई, संग्रह और परिवहन की स्थापना		वाराणसी, उत्तर प्रदेश	10.00	6.00	10.00	वाराणसी नगर निगम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
4	अनुसूचित जाति समुदायों और प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सेवाओं के लिए जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य–विज्ञान की स्थापना		आंध्र प्रदेश में प्रकासम, गुंटूर, कृष्णा और चित्तूर जिले	4.19	2.82	3.66	शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत विकास सोसायटी (एसआईडीयूआर)
5	विद्युत शवदाह गृह की स्थापना		जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	1.46	0.84	0.84	जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद
6	स्वच्छ भारत मिशन के संदेश को बढ़ाना – "मैं कुछ भी कर सकती हूँ" के सीजन–3 नामक संचार माध्यस्थता शीर्षक के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारिता के मुद्दों के अतिरिक्त संधारित एवं सुरक्षित स्वच्छता परिपाटियां		सम्पूर्ण भारत	10.00	5.22	10.63	पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएफआई)
7	स्वच्छता कार्रवाई योजना के तहत स्लम क्षेत्रों में सफाई, पेयजल सुविधाओं, स्वच्छता आदि के लिए सहायता		सम्पूर्ण भारत	2.10	0.13	0.13	क्षेत्रीय कार्यालय आरईसी लिमिटेड
			उप–जोड़ (क)	**218.25**	**14.79**	**178.19**	

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/ संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशिः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1. ख स्वास्थ्य देखभाल							
8.	सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिफॉरमिटी करेक्शन के रूप में संस्थान की स्थापना के लिए एसवीएनआईआरटीएआर में भवन के निर्माण द्वारा अवसंरचना विकास	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करन, स्वच्छता को प्रोन्नत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देने सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना	जिला कटक, ओडिशा	15.89	2.47	4.12	स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलीटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च (एसवीएनआईआरटीएआर)
9.	सरकारी विद्यालयों में स्कूली बच्चों को स्वादिष्ट दूध के वितरण/ आपूर्ति के लिए सहायता		जिला लातेहर, झारखंड	2.60	0.20	2.34	नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फाउंडेशन फॉर न्यूट्रीशियन
10.	लगभग 8000–9000 दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता और सहायक उपकरणों का वितरण		सम्पूर्ण भारत	10.00	1.68	7.15	आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एएलआईएमसीओ)
11.	एलिवेटर कक्ष के निर्माण तथा सिविल अस्पताल में एलिवेटर की संस्थापना द्वारा अवसंरचना विकास		जिला आइजॉल, मिजोरम	0.59	0.14	0.14	चिकित्सा अधीक्षक, सिविल अस्पताल, आइजॉल
12.	कुष्ठ प्रभावित और अन्य गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए द लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन थिएटर और मातृत्व ब्लॉक के निर्माण कर और उपकरण लगाकर अवसंरचना विकास		छत्तीसगढ़ में चम्पा, उत्तर प्रदेश में फैजाबाद और तमिलनाडु में वदाथोरासलूर	5.00	0.48	0.48	द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली
13.	गांधी मैमोरियल अस्पताल (एक सरकारी अस्पताल) का निर्माण एवं नवीकरण		रीवा, मध्य प्रदेश	10.96	3.73	6.94	मेडिकल कॉलेज रीवा
14.	भारत में विभिन्न स्थानों पर श्रवण दोष वाले बच्चों को कोचलियर इम्प्लांट्स की आपूर्ति और फिटमेंट		सम्पूर्ण भारत	6.00	1.68	1.68	अली यवर जुंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेब्लीटीज (एवाई जेएनआईएसएचडी)
15.	ब्लड बैंक सह प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण तथा ब्लड बैंक उपकरणों का उन्नयन		जिला अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश	1.66	0.50	0.50	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, आंध्र प्रदेश

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/ संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
16.	मरणासन्न रूप से बीमार कैंसर रोगियों को सहायता देने के लिए विराट अस्पताल में रेडियोथैरेपी यूनिट का निर्माण		जबलपुर, मध्य प्रदेश	3.32	1.66	1.66	ब्रह्मऋषि मिशन समिति, जबलपुर
17.	एकीकृत मजबूत डिस्ट्रॉफी और पुनर्वास केंद्र "मानव मंदिर" का निर्माण		सोलन, हिमाचल प्रदेश	1.10	0.88	0.88	इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, हिमाचल प्रदेश
18.	सोसायटी के 2500 विशेषीकृत दिव्यांग लोगों के लिए सहायता और उपकरण प्रदान करना		सम्पूर्ण भारत	1.00	1.00	1.00	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति
19.	ओडिशा के 30 जिलों में लाल रक्त कोशिका बीमारियों और थैलीसीमिया के नियंत्रण के लिए समुदाय कार्यक्रम हेतु आंशिक वित्तपोषण		सम्पूर्ण भारत	25.00	2.50	2.50	क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर
20.	ग्रामीण लड़कियोंधकिशोरियोंध महिलाओं के बीच मासिक धर्म स्वच्छता पर सस्ती सैनिटरी नैपकिन और जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण		जिला पलवल, हरियाणा	0.12	0.05	0.05	सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मसेस (एसपीवाईएम)
21.	शवों को लाने व ले जाने के लिए 3 शव वाहनों की खरीद		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.45	0.41	0.41	शहीद भगत सिंह सेवा दल
22.	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की आपूर्ति के लिए केंद्रीकृत रसोई की प्रचालन दक्षता में सुधार करने के लिए रोलर कन्वेयर सिस्टम की खरीद और संस्थापना		गांव अथल, जिला सिलवासा, दादरा व नागर हवेली	0.88	0.26	0.26	दादरा व नागर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
23.	पंडित राम सुमेर शुक्ला स्मृति गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड का अवसंरचना विकास		ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड	18.35	7.34	7.34	जिला मजिस्ट्रेट, ऊधम सिंह नगर
24.	स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में नवीकरण और निर्माण द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार		जिला ममिट, मिजोरम	11.83	5.08	5.08	उपायुक्त, ममिट

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
25.	जिला अस्पताल में स्वास्थ्य एवं स्कूली शिक्षा अवसंरचना सहायता का रुपांतरण, अस्पताल के कर्मचारियों को सुदृढ़ करना, जेनरेटरों की खरीद, सरकारी विद्यालय भवन में अवसंरचना विकास, शिक्षक प्रशिक्षण इत्यादि		जिले किफिरे, नागालैंड	5.56	2.08	2.08	उपायुक्त, किफिरे
26.	चिकित्सा विभाग के लिए स्टाफ क्वार्टर का निर्माणधविस्तार तथा शिक्षकों के लिए मॉड्यूलर पूर्वनिर्मित आवास (क्वार्टर)		जिले किफिरे, नागालैंड	4.10	0.30	0.30	उपायुक्त, किफिरे
27.	स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में सेवास्थ्य सेवाओं का सुधार		जिला चंदेल, मणिपुर	2.17	1.21	1.21	उपायुक्त, चंदेल
28.	जिला अस्पताल एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा उपकरण और साधन प्रदान करना		जिला पश्चिमी सिक्किम, सिक्किम	1.63	1.30	1.30	जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिम सिक्किम
29.	एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड ऐजुकेशन इन कैंसर (एसीटीआरईसी) में सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण		मुंबई, महाराष्ट्र	8.83	2.14	2.14	टाटा मैमोरियल सेंटर
30.	कोरोना वायरस कोविड–19 महामारी के प्रभाव देखते हुए लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों, गरीब लोगों आदि को भोजन उपलब्ध कराना		सम्पूर्ण भारत	7.00	1.59	1.59	आरईसी/विद्युत यूटिलिटियां/स्थानीय प्रशासन
			उप–जोड़ (ख)	**144.06**	**38.71**	**51.16**	

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट / संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशिः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1. ग स्वच्छ पेयजल							
31.	तीन राज्यों के 15 गांवों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करन, स्वच्छता को प्रोन्नत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देने सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना	तेलंगाना में नलगोंडा, राजस्थान में टोंक व जयपुर तथा पंजाब में संगरूर	2.50	0.25	2.07	नांदी फाउंडेशन, हैदराबाद
32.	यूपीएसआरटीसी के 10 विभिन्न बस स्टेशनों पर वाटर एटीएम मशीनों की संस्थापना और समुदाय जल संयंत्र लगाना		उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, इटावा, गाजियाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, हरदोई, आजमगढ़, इलाहाबाद और वाराणसी बस स्टेशन	0.89	0.09	0.89	यूरेका फोर्ब्स इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट
33.	ग्रामीण क्षेत्रों में 275 हैंडपम्पों की संस्थापना		जिला श्रीवास्ती, उत्तर प्रदेश	0.99	0.50	0.69	जिला मजिस्ट्रेट, श्रीवास्ती
34.	ग्रामीण क्षेत्रों में 250 हैंडपम्पों की संस्थापना		जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	1.04	0.51	0.72	जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद
35.	गांवों में 100 हैंडों की संस्थापना तथा घाट का निर्माण और तालाब की खुदाई		जिला बगाहा और चिवंताहा, बिहार	1.01	0.35	0.65	पर्यावरण केयर सोसायटी
36.	विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर 20 वाटर एटीएम मशीनों की संस्थापना		उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और झारखंड	1.78	0.88	1.52	बिसनोली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान (बीएसजीएसएस)
37.	ग्रामीण क्षेत्रों में 30 हैंडपम्पों की संस्थापना		जिला मुजफ्फरपुर, बिहार	0.19	0.19	0.19	गांधी ग्रामोदय
			उप–जोड़ (ग)	**8.40**	**2.76**	**6.74**	
			श्रेणी (1) के लिए उप–जोड़	**370.71**	**55.26**	**236.09**	

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशिः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2. क शिक्षा							
38.	शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकारी हाईस्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम (वीसीआर) की स्थापना	विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं शारीरिक रूप से अक्षण लोगों के लिए रोजगारवर्धक व्यावसायिक कौशल एवं विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना तथा आजीविका के संवर्धन संबंधी परियोजनाएं	कर्नाटक में 10 जिले	1.74	0.33	1.65	कर्नाटक स्टेट काउंसिल फॉर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी (केएससीएसटी), बैंगलोर
39.	10 सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सहायता		जिला आइजॉल, मिजोरम	0.05	0.03	0.04	उपायुक्त, आइजॉल
40.	30 सरकारी संस्थानों में संकल्पनात्मक अनुसंधान अनुभव के माध्यम से नए–नए युवाओं को आगे बढ़ाना		सम्पूर्ण तेलंगाना	3.03	0.63	3.03	टी–हब फाउंडेशन
41.	25 स्कूलों में आरईसी इंटीग्रिटी क्लबों की स्थापना		सम्पूर्ण भारत	0.80	0.27	0.29	आरईसी
42.	सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की प्राथमिक शिक्षा संबंधी शिक्षण परिणामों में सुधार		जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश	1.31	0.20	1.24	रिसर्च एंड एक्सटेंशन एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन हॉर्टीकल्चर एंड एग्रो–फोरेस्ट्री (आरईएसीएच)
43.	फर्नीचर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, साउंड सिस्टम, सोलर लाइट पैनल, आरओ वाटर इत्यादि प्रदान करके 20 सरकारों विद्यालयों का अवसंरचना विकास		जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	1.00	0.48	0.48	जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद
44.	24 सरकारी विद्यालयों में कंपाउंड दीवारों के निर्माण और गेट प्रदान करने के लिए सहायता		जिला महबूबनगर, आंध्र प्रदेश	2.51	0.75	0.75	जिला मजिस्ट्रेट, महबूबनगर
45.	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (केआईएसएस) में रह रहे एवं अध्ययनरत 300 जनजातीय बच्चों को पढ़ाई, भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतें प्रदान करने के लिए सहायता		भुवनेश्वर, ओडिशा	0.90	0.68	0.68	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (केआईएसएस)
46.	शिक्षण सहायक सामग्री, अवसंरचनात्मक विकास आदि प्रदान करके दृश्य दोष वाले बच्चों के लिए समग्र शिक्षा और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना।		नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, आर. के. पुरम कैम्पस, नई दिल्ली	1.34	0.50	0.50	नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट / संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
47.	द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) उत्तराखंड स्टेट सेंटर देहरादून के सेमिनार हॉल का नवीनीकरण कार्य		देहरादून, उत्तराखंड	0.25	0.25	0.25	द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत), देहरादून
48.	30 सरकारी संस्थानों से 1800 विद्यार्थियों और 150 शिक्षकों को संकल्पना अनुसंधान अनुभव के माध्यम से युवा प्रवर्तक बनाना		सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश	1.62	0.32	0.32	आईआईटी, कानपुर
49.	विद्यालयी पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षकों की भर्ती, स्मार्ट क्लास प्रदान करके, छात्रावास का नवीनीकरण, फर्नीचर प्रदान करके, शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षकों एवं छात्रों के एक्सपोजर विजिट आदि के सुदृढ़ीकरण द्वारा स्कूली शिक्षा का रुपांतरण		जिला पश्चिम सिक्किम, सिक्किम	16.85	2.59	2.59	जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिम सिक्किम
50.	प्रोजेक्ट, पानी की सुविधा, फर्नीचर, व्हाइट बोर्ड और मार्कर, विद्यालय एवं छात्रावास में अवसंरचना सहायता, विज्ञान प्रयोगशालाओं इत्यादि प्रदान करके स्कूली शिक्षा का रुपांतरण		जिला चंदेल, मणिपुर	4.00	1.98	1.98	उपायुक्त, चंदेल
51.	सरकारी स्कूलों में 94 जलशोधन प्रणाली प्रदान करना तथा एचएससी (हायर सेकेंडरी ऐजुकेशन) संभावित विद्यार्थियों के लिए सुपर 30 की शुरूआत करना		जिला गजपति, ओडिशा	1.57	0.63	0.63	जिला कलेक्टर, गजपति
52.	उपकरण, शिक्षकों को प्रशिक्षण, महिला साक्षरता में वृद्धि, सरकारी स्कूलों में पेयजल प्रदान करके इत्यादि प्रदान करके स्कूली शिक्षा में रुपांतरण		जिला ममिट, मिजोरम	8.80	4.06	4.06	उपायुक्त, ममिट
53.	जिला के 150 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री–स्कूलों में परिवर्तित करना		ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड	2.25	0.90	0.90	जिला मजिस्ट्रेट, ऊधम सिंह नगर

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशिः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
54.	17 सरकारी स्कूलों के अवसंरचना विकास, चारदीवारी, क्लास रूम से स्मार्ट क्लास रूम में परिवर्तित करके, खेल उपकरण प्रदान करके, विद्यालयी पुस्तकालय, विज्ञान/गणित प्रयोगशाला इत्यादि द्वारा विद्यालयी शिक्षा में रुपांतरण		जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	3.08	1.23	1.23	उपायुक्त, कांगड़ा
55.	संदलपुर गांव में जनजातीय बच्चों के लिए लड़कों के छात्रावास (द्वितीय तल) का निर्माण तथा गांव बारकलिकापुर में परिवार बंगाल रेजिडेंसियल इंस्टीट्यूशन में 150 आवासीय लड़कियों को पढ़ाई, भोजन तथा अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करना		जिला देवास, मध्य प्रदेश और जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल	0.96	0.29	0.29	परिवार ऐजुकेशन सोसायटी
56.	विशेष दिव्यांग बच्चों के लिए अनुसंधान एवं पुनर्वास केंद्र (तृतीय तल), चारदीवारी तथा अनुसंधान एवं पुनर्वास केंद्र में खेल के मैदान की स्थापना		गांव विदयपुर, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश	2.00	0.40	0.40	चेतना हिमाचल प्रदेश (सीएचपी), बिलासपुर
57.	विभिन्न स्लम क्षेत्रों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के 462 बच्चों वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अभिनव मोबाइल स्कूल		गुरूग्राम, हरियाणा	0.72	0.73	0.43	ऑल इंडिया सिटीजन्स एलाइंस फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलेपमेंट (एआईसीएपीडी)
58.	32 सरकारी स्कूलों में 53 अतिरिक्त क्लास रूमों का निर्माण		जिला गजपति, ओडिशा	3.32	1.33	1.33	जिला कलेक्टर, गजपति
			उप–जोड़ (क)	**58.09**	**18.27**	**23.08**	

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशिः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2. ख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम							
59.	लगभग 7000 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए रोजगारवर्धक व्यावसायिक कौशल एवं विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना तथा आजीविका के संवर्धन संबंधी परियोजनाएं	सम्पूर्ण भारत	10.00	1.34	8.19	राष्ट्रीय कौशल विकास निधि/राष्ट्रीय कौशल विकास कारपोरेशन (एनएसडीसी)
60.	540 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		सम्पूर्ण भारत	1.95	0.40	1.76	एपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी), गुड़गांव
61.	1000 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलाडु, ओडिशा, तेलंगाना और झारखंड इत्यादि	2.69	1.04	2.58	इंडो–जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आईजीआईएटी), आंध्र प्रदेश
62.	अनुसूचित जाति से संबंधित 1650 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम		कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश	6.16	3.08	3.08	नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कारपोरेशन (एनएससीएफडीसी)
63.	प्रत्येक 10 महिलाओं से मिलकर बने 100 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना		मेवात, हरियाणा	0.77	0.57	0.72	मैट्रिक्स सोसायटी फॉर सोशल सर्विसेज, मेवात
64.	1300 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		पिथौरागढ़	1.48	0.74	1.04	महिला आश्रम मुवानी, पिथौरागढ़
65.	880 महिला लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		पंजाब में गुरदासपुर जिला और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिला	1.25	0.40	0.94	बिसनौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान (बीएसजीएसएस)
66.	1000 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		सम्पूर्ण भारत	6.00	4.70	4.70	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी), चेन्नई
67.	700 विशेष दिव्यांग लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास आवासीय प्रशिक्षण		सम्पूर्ण भारत	2.54	0.51	0.51	समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड
68.	500 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम		नोएडा, उत्तर प्रदेश	1.75	0.87	0.87	इंटरनेशनल कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट (आईसीआई), नोएडा

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/ संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
69.	2000 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		औरंगाबाद, महाराष्ट्र	4.61	1.84	1.84	महर्षि शिक्षण प्रसारक मंडल
70.	1200 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम		भोपाल, मध्य प्रदेश	4.31	2.29	2.29	सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस (सीआरआईएसपी)
71.	1100 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण		सम्पूर्ण भारत	2.58	0.73	0.73	द एपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर
72.	लगभग 3480 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण तथा विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों को उपकरण प्रदान करना		जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख	10.00	4.32	4.32	राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) के नियंत्राधीन राष्ट्रीय कौशल विकास कारपोरेशन (एनएसडीसी)
73.	1000 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	1.54	0.46	0.46	मैट्रिक्ल सोसायटी फॉर सोशल सर्विसेस (एमएएसएस)
			उप–जोड़ (ख)	57.62	23.31	34.04	
			श्रेणी (2) के लिए उप–जोड़	**115.71**	**41.57**	**57.12**	
3.	**महिला सशक्तिकरण, वृद्धाश्रम की स्थापना आदि**						
74.	वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य सुविधा से युक्त आश्रय स्थल का निर्माण एवं प्रचालन	महिला सशक्तिकरण, महिला एवं बेसहारा लोगों के लिए आवास एवं छात्रावास की स्थापना, वृद्धाश्रमों तथा दिवस देखभाल केंद्रों की स्थापना और वरिष्ठ नागरिकों आदि के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं	लेह–लद्दाख, जम्मू व कश्मीर	3.50	1.00	1.31	हेल्पएज इंडिया, नई दिल्ली
75.	एक लंबी रणनीति के माध्यम से युवा लड़कियों (चाहें वे माता हों) का संरक्षण एवं विकास		जिला विजयपुरा, कर्नाटक	0.17	0.05	0.05	उपायुक्त, विजयपुरा
			श्रेणी (3) के लिए उप–जोड़	**3.67**	**1.05**	**1.36**	**कुल**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट / संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशिः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
4.	पर्यावरणीय धारणीयता सुनिश्चित करना						
76.	ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी आधारित 1600 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना	गंगा नदी के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा नदी में अंशदान करने सहित पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पति एवं जीव का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वन–विज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण और मृदा, वायु एवं जल की गुणवत्ता बनाये रखने को सुनिश्चित करना	जिला अशोकनगर, गुना और शिवपुरी, मध्य प्रदेश	4.82	0.94	4.80	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली
77.	ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 1400 घरों को स्वच्छ ऊर्जा सेवा प्रदान करने के लिए सोलर माइक्रो ग्रिड की स्थापना		झारखंड और ओडिशा	1.98	0.23	1.53	द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टीईआरआई), नई दिल्ली
78.	हरित ऊर्जा के लिए प्रेसीडेंट एस्टेट में सौर विद्युत पैनलों की संस्थापना		नई दिल्ली	2.49	0.15	2.49	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)
79.	आईआईटी कैम्पस में 279 केडब्ल्यूपी एसपीवी प्रणाली और 2200 एलईडी लाइटों की संस्थापना		बैंगलोर, कर्नाटक	4.94	0.35	3.47	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएससी), बैंगलोर
80.	आईआईएम कैम्पस में 2 मेगावाट एसपीवी की स्थापना		तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	14.20	5.96	11.64	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम), तमिलनाडु
81.	सम्बलपुर यूनिवर्सिटी कैम्पस में 0.25 मेगावाट एसपीवी प्रणाली और एलईडी लाइटों की संस्थापना		सम बलपुर, ओडिशा	3.44	2.61	2.61	सम्बलपुर यूनिवर्सिटी, ओडिशा
82.	बेयरफुट कॉलेज, तिलोनिया के कैम्पस में गैर–कार्यात्मक पुराने स्ट्रक्चर को बदलना तथा 135 केडब्ल्यूपी एसपीवी प्रणाली की संस्थापना		तिलोनिया, राजस्थान	1.49	0.58	0.80	सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर (एसडब्ल्यूआरसी), अजमेर, राजस्थान
83.	445 सौर आधारित स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और 145 सोलर हाई मस्ट लाइटों की संस्थापना		बरेली, आंवला, बिलासपुर और बरेली कैंट., उत्तर प्रदेश	2.38	0.45	2.27	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, नोएडा (ईईएसएल)
84.	45 गांवों में ऊर्जा दुकानों, ई–रिक्शा और सॉलिड वेस्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना द्वारा संधारणीय ऊर्जा प्रणाली प्रदान करना		हरियाणा	3.54	0.48	1.19	स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स (एससीजीजे), नई दिल्ली
85.	झाजरा में भारतीय जनजातीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के कैम्पस में 50 केडब्ल्यूपी एसपीवी प्रणाली की संस्थापना		जिला देहरादून, उत्तराखंड	0.34	0.24	0.27	स्वतंत्रता सेनानी लोकबंधु राममूर्ति पॉसे सेवा न्यास, देहरादून

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट / संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशिः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
86.	एसपीवी प्रणाली की संस्थाना, रेबिट कंडक्टर में इंसुलेशन प्रदान करना, 10 आवासीय सरकारी स्कूलों में ई–लर्निंग केंद्रों की स्थापना		कर्नाटक	12.99	9.73	9.73	कर्नाटक रेसिडेंसियल एेजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स सोसायटी (केआरईआईएस)
87.	मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी के कैम्पस में 1 एमडब्ल्यूपी एसपीवी प्रणाली की संस्थापना		मदुरै, तमिलनाडु	7.25	2.90	2.90	मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी (एमकेयू), मदुरै
88.	आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी के कैम्पस में 2 एमडब्ल्यूपी एसपीवी प्रणाली की संस्थापना		गुंटूर, आंध्र प्रदेश	14.50	5.29	5.29	न्यू एंड रिन्युबल एनर्जी डेपलेपमेंट कारपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लि. (एनआरईडीसीएपी)
89.	शहीद ऊधम सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी, संविधानी कॉलेज के कैम्पस में 283 केडब्ल्यूपी एसपीवी प्रणाली की संस्थापना		फिरोजपुर, पंजाब	1.65	1.15	1.15	शहीद ऊधम सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी, फिरोजपुर, पंजाब
90.	84 गांवों में 500 एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना		जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश	1.18	0.47	0.47	जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत
91.	एसटीएंडएससी विकास विभाग, ओडिशा सरकार के अंतर्गत 16 आवासीय स्कूलों में प्रत्येक 5 केडब्ल्यूपी प्रणाली की स्थापना		ओडिशा के कंधामल, नबरंगपुर, कोरापुट, रायगढ़, बारगढ़, सुदंरगढ़, सम्बलपुर, बोलंगीर और कियोंझार जिले	1.84	0.13	1.84	आरईसीपीडीसीएल
92.	आंध्र प्रदेश और ओडिशा के पिछड़े जिलों के कम विद्युतीकृत क्षेत्रों में लगभग 1.5 लाख सौर लालटेनों का वितरण		आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा	17.20	0.53	12.57	सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई)
			श्रेणी (4) के लिए उप–जोड़	**96.23**	**32.21**	**65.02**	

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि	क्षेत्रक जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य और जिला	राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर 2019–20 के दौरान खर्च की गई राशि 1. प्रत्यक्ष खर्च 2. ओवरहैड	रिपोर्ट की अवधि तक का संचयी खर्च	खर्च राशि: प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
5.	**केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निधि में अंशदान**						
93.	पीएम केयर्स फंड में अंशदान	केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और किसी अन्य निधि में अंशदान	सम्पूर्ण भारत	100.00	100.00	100.00	भारत सरकार
			श्रेणी (5) के लिए उप–जोड़	**100.00**	**100.00**	**100.00**	
6.	**ग्रामीण विकास परियोजनाएं**						
94.	ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए कृषक–केंद्रित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के महबूबनगर और अनंतपुर जिले	22.33	5.01	11.90	इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमीरिड ट्रॉपिक्स (आईसीआरआईएसईटी), पतनचेरू, तेलंगाना
95.	विभिन्न परियोजनाओं के लिए माध्यम से समुदाय आधारित व्यवधानों के लिए सहायता		सम्पूर्ण भारत	32.84	12.61	25.66	संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यूएनएफपीए)
96.	सोमदल गांव में बहु–उद्देश्यीय हॉल एवं इंडोर स्टेडियम का निर्माण		जिला उखरूल, मणिपुर	4.04	1.99	2.58	नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसायटी (एनईआरसीआरएमएस)
97.	येंगांगपोकपी से लेकोईचिंग गांव तक सड़क का निर्माण		जिला उखरूल, मणिपुर	8.00	1.02	1.02	नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसायटी (एनईआरसीआरएमएस)
98.	सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे 5000 किसानों को बीज का वितरण		जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र	1.93	1.82	1.82	विश्वबंधु बहुउद्देश्यीय सेवा भावी संस्था
99.	3 गांवों में शौचालय परिसर सहित 3 सामुदायिक केंद्रों का निर्माण		जिला मयूरभंज, ओडिशा	0.30	0.09	0.09	जिला कलैक्टेर, मयूरभंज
			श्रेणी (6) के लिए उप–जोड़	69.44	22.54	43.08	
			कुल प्रत्यक्ष व्यय (1 से 6)	755.76	253.64	502.68	
100.	अन्य अप्रत्यक्ष व्यय, निगरानी, भुगतान आदि	प्रशासनिक ओवरहैड		–	4.76	–	
			वर्ष के लिए कुल	**755.76**	**258.40**	**502.68**	